न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/90/2021	2021/252	08-10-2021	13-07-2023

01– लालाराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी, ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 18.12.2004 नामान्तकरण संख्या 1080 वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

उपस्थितः–

01–श्री जर्नादन शर्मा –वकील अपीलान्ट

02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 18.12.2004 नामान्तकरण संख्या 1080 वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या 1080 अपीलान्ट के पिता रामजीलाल पुत्र दुर्जन अहीर की विरासत के संबंध में दर्ज कर स्वीकार किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के अलावा उसके भाई अमर सिंह व हरि किशन के पक्ष में भी दर्ज किया गया है। नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम लालाराम के स्थान पर लालसिंह दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट का नाम वास्तव में लालाराम है। तथा समस्त रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम लालाराम ही अंकित है, पटवारी हल्का द्वारा गलती से अपीलान्ट का नाम लालाराम की जगह लाल सिंह दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट का नाम लालसिंह दर्ज रहने से नामान्तकरण के आधार पर समस्त राजस्व रिकार्ड में लाल सिंह दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट के पहचान पत्र, सर्विस रिकार्ड, पेन कार्ड, आदि में अपीलान्ट का नाम लालाराम दर्ज है, चूकि अपीलान्ट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत था, इस जिए अपीलान्ट वक्त निर्णय हाजिर नही होने के कारण उक्त नाम की त्रुटी की गयी है। अपीलान्ट द्वारा अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिये तहसीलदार के पास गया तथा अपना नाम लालसिंह के स्थान पर लालाराम दर्ज करने के लिये निवेदन किया गया तो तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया तथा हिदायत दी गयी की नामान्तकरण की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अपील करो। तहत अदालत के द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत किया गया था, पटवारी हल्का के द्वारा नाम के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नही गयी तथा अपीलान्ट राजकीय सेवा में होने के कारण वक्त निर्णय हाजिर नही हो सका। तहत अदालत द्वारा पारित विवादित नामान्तकरण संख्या 1080 ग्राम चांदपुर निर्णय दिनाक 18.12.2004 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 05.09.2017 को हुयी उसी दिन अपीलान्ट द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल दिनाक 05.09.2017 को ही तैयार होकर प्राप्त हो गयी। अपीलान्ट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सरकारी कर्मचारी था, तथा नौकरी के सिलसिले में बाहर ही नौकरी पर रहता था, अब दिनाक 05.09.2017 को अपीलान्ट अपने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तब नामान्तकरण में दर्ज नाम की त्रुटि ज्ञात हुई दिनाक 18.12.2004 से दिनाक 05.09.2017 का समय जानकारी के अभाव में निकला है, जो काबिले माफी है, जिसे माफ किये जाने हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे, तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.12.2004 नामान्तकरण संख्या 1080 ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1080 वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी खातेदार रामजीलाल पुत्र दुर्जन जाति अहीर साकिन देह की आराजीयात मुताबिक सजरा वारिसान के नाम दर्ज कर निर्णित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1080 निर्णय दिनांक 18.12.2004 वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 13.09.2017 को पेश की गयी है, जो करीब 13 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2004 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.09.2017 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण संख्या 1080 अपीलान्ट के पिता रामजीलाल पुत्र दुर्जन अहीर की विरासत के संबंध में दर्ज कर स्वीकार किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के अलावा उसके भाई अमर सिंह व हरि किशन के पक्ष में भी दर्ज किया गया है। नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम लालाराम के स्थान पर लालसिंह दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट का नाम वास्तव में लालाराम है तथा समस्त रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम लालाराम ही अंकित है, पटवारी हल्का द्वारा सहवन से अपीलान्ट का नाम लालाराम की जगह लाल सिंह दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट का नाम लालसिंह दर्ज रहने से नामान्तकरण के आधार पर समस्त राजस्व रिकार्ड में लाल सिंह दर्ज कर दिया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

है। जबकि अपीलान्ट के आधार कार्ड, पहचान पत्र, सर्विस रिकॉर्ड, पेन कार्ड आदि में अपीलान्ट का नाम लालाराम दर्ज है, चूंकि अपीलान्ट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत था, इसलिए अपीलान्ट वक्त निर्णय हाजिर नहीं होने के कारण उक्त नाम की त्रुटी की गयी है। जो न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.12.2004 नामान्तकरण संख्या 1080 वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर अपीलान्ट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेपित की जाती है कि अपीलान्ट के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, सर्विस रिकॉर्ड, पेन कार्ड आदि की भलीभांति जांच कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)